

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 440/2018

अनवान : -

1. जयलालदीन पुत्र अल्लादीन जाति कुम्हार मु० फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
 2. पतोरी पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
 3. विजय सिंह पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
 4. सन्तरो
 5. बिमला
 6. चन्दो
 7. इमरती
- पुत्रीयान आशाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. रेशमा पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
 9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 05/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 136/216 के प०न० 346/381 मु०न० 10 के किला नं० 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट कुल 2 किता की 0.4810 हैक्ट प०न० ० मु०.न० 176/18 के किला न० 0/2 की 0.0250 हैक्ट, गै.मु. रास्ता कुल 0.5060 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है एवं रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 137/219 पठन० 346/380 मु०न० 4 के किला न० 25 की 0.2270 हैक्ट, प०न० 347/380 मु०न० 5 के किला न० 21 की 0.253 हैक्ट, प०न० 348/381 मु०न० 8 के किला न० 11 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, प०न० 347/381 मु०न० 9 के किला न० 1-9 ता 25 की कुल 18 किता 4.5640 हैक्ट, भूमि प०न० 346/381 मु०न० 10 के किला न० 3 ता 8 व 14 ता 17 कुल 10 किता की 2.4260 हैक्ट भूमि प०न० 347/382 मु०न० 18 के किला न० 2 की 0.253 हैक्ट प०न० ० मु०न० 175/17 के किला न०० की 0.1260 हैक्ट गै.मु. रास्ता कुल 34 किता की 8.3450 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसके वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है।

रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 136/216 की कुल तादादी 0.5060 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स० 1 अकेला 8/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 ता 7 ब.हि.ब. 6/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 अकेली 1/6 हिस्सा के खातेदार कास्तकार है। एवं रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 137/219 की कुल 34 किता की 8.3450 हैक्ट भूमि वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स० 1 अकेला 8/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 ता 7 ब.हि.ब. 6/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 अकेली 1/6 हिस्सा के खातेदार कास्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है वादी ने अपने हक व हिस्से की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रतिवादीगण वादी की सुध

उपखण्ड अधिकारी
Rahul

गारी हुई भूमि पर सीव व लगान आदि को लेकर आपस में आये दिन झगडा रहता है। इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा व कब्जे काश्त की भूमि का खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग-अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 136/216 की कुल तादादी 0.5060 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स० 1 अकेला 8/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 ता 7 ब.हि.ब. 6/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 अकेली 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 137/219 की कुल 34 किता की 8.3450 हैक्ट भूमि वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स० 1 अकेला 8/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 ता 7 ब. हि.ब. 6/42 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 अकेली 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है का खाता व लगान जमाबन्दी दर्ज हक व हिस्सानुसार अलग-अलग कायम किया बाद अलग-अलग कायम होने पर राजस्व रिकार्ड में अकन करवाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबन्दी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 136/216 के प०न० 346/381 मु०न० 10 के किला न० 24 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट कुल 2 किता की 0.4810 हैक्ट प०न० ० मु०.न० 176/18 के किला न० 0/2 की 0.0250 हैक्ट, गै.मु. रास्ता कुल 0.5060 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 137/219 पठन० 346/380 मु०न० 4 के किला न० 25 की 0.2270 हैक्ट, प०न० 347/380 मु०न० 5 के किला न० 21 की 0.253 हैक्ट, प०न० 348/381 मु०न० 8 के किला न० 11 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, प०न० 347/381 मु०न० 9 के किला न० 1-9 ता 25 की कुल 18 किता 4.5640 हैक्ट, भूमि प०न० 346/381 मु०न० 10 के किला न० 3 ता 8 व 14 ता 17 कुल 10 किता की 2.4260 हैक्ट भूमि प०न० 347/382 मु०न० 18 के किला न० 2 की 0.253 हैक्ट प०न० ० मु०न० 175/17 के किला न०० की 0.1260 हैक्ट गै.मु. रास्ता कुल 34 किता की 8.3450 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. जयलालदीन पुत्र आलदीन जाति कुम्हार सा. फेफाना खातेदार रहन एचडीएफसी लि. बैंक शाखा मल्लेका प.नं. 347/381 मु.नं. 9 के 9 / 0.253, 12 ता 19 / 2.024, 20/1 / 0.051, 21 ता 25 / 1.265 प.नं. 347/382 मु.नं. 18 कि.नं. 2 / 0.253,

उपजण्ड अधिकारी
Lalul
नोहर

प.नं. 348/381 मु.नं. 8 कि.नं. 11, 20 / 0.506 कुल किता 18 कुल क्षेत्रफल 4.352 है बरानी-1

2. पतौरी पत्नी आशाराम 1/2 हि. इमरती, चन्दो, विमला सन्तरो पुत्रिया आशाराम बहिन 4/21 हि. रामकिशन पुत्र आशाराम 8/21 हि. विजयसिंह पुत्र आशाराम 1/21 हि. सज्जनसिंह पुत्र विजयसिंह 1/3 हि. जाति जाट सा. फेफाना खातेदार प.नं. 346/380 मु.नं. 4 कि.नं. 25/1 / 0.025 गै.मु.रास्ता, 25/2 / 0.228 प.नं. 346/381 मु.नं. 10 कि.नं. 3-4 / 0.506, 5/1 / 0.026, 5/2 / 0.227, 6/1 / 0.025, 6/2 / 0.228, 7-8 / 0.506, 14 / 0.253, 15/1 / 0.025, 15/2 / 0.228, 16/1 / 0.025, 16/2 / 0.228, 17-24 / 0.506, 25/1 / 0.025, 25/2 / 0.228 प.नं. 347/380 मु.नं. 5 कि.नं. 21 / 0.253 प.नं. 347/381 मु.नं. 9 कि.नं. 1 / 0.253, 20/2 / 0.202, 10, 11 / 0.506 कुल किता 24 कुल रकबा 4.503 है. बरानी 1 -4.352 है. गै.मु. रास्ता 0.151 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 05/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 847 / 2024

अनवान : -

1. शुभान्सु पुत्र कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहली पंजाब।
2. विनिता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहली पंजाब।

- वादी

बनाम्

1. अमित कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. ज्ञानसिंह पुत्र गुरुचरण जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. तारामणी पत्नी टीकूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र भगवती प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. रघुवीर सिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील रावतसर।
6. राजवाला पत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
7. स्वाती शर्मा पुत्री आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ जिला सीकर
8. सौरभ जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
9. गोरव जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ जिला सीकर
10. दीप्ति शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मोहली तहसील व जिला मोहाली
11. जयश्री शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मोहली तहसील व जिला मोहाली
12. उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 847 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक न० 5 ए-बारानी तहसील नोहर के खाता स० 137/219 की कुल 34 किता की 8.3450 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. जयलालदीन पुत्र आलदीन जाति कुम्हार सा. फेफाना खातेदार रहन एचडीएफसी लि. बैंक शाखा मल्लेका प.नं. 347/381 मु.नं. 9 के 9 / 0.253, 12 ता 19 / 2.024, 20/1 / 0.051, 21 ता 25 / 1.265 प.नं. 347/382 मु.नं. 18 कि.नं. 2 / 0.253, प.नं. 348/381 मु.नं. 8 कि.नं. 11, 20 / 0.506 कुल किता 18 कुल क्षेत्रफल 4.352 है बरानी-1
2. पतौरी पत्नी आशाराम 1/2 हि. इमरती, चन्दो, विमला सन्तरो पुत्रिया आशाराम बहिन 4/21 हि. रामकिशन पुत्र आशाराम 8/21 हि. विजयसिंह पुत्र आशाराम 1/21 हि. सज्जनसिंह पुत्र विजयसिंह 1/3 हि. जाति जाट सा. फेफाना खातेदार प.नं. 346/380 मु.नं. 4 कि.नं. 25/1 / 0.025 गै.मु.रास्ता, 25/2 / 0.228 प.नं. 346/381 मु.नं. 10 कि.नं. 3-4 / 0.506, 5/1 / 0.026, 5/2 / 0.227, 6/1 / 0.025, 6/2 / 0.228, 7-8 / 0.506, 14 / 0.253, 15/1 / 0.025, 15/2 / 0.228, 16/1 / 0.025, 16/2 / 0.228, 17-24 / 0.506, 25/1 / 0.025, 25/2 / 0.228 प.नं. 347/380 मु.नं. 5 कि.नं.


उपखण्ड अधिकारी
Rahul

21 / 0.253 प.नं. 347/381 मु.नं. 9 कि.नं. 1 / 0.253, 20/2 / 0.202, 10, 11 / 0.506 कुल किता 24 कुल रकबा 4.503 है. बरानी 1 -4.352 है. गै.मु. रास्ता 0.151 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 05/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर